कार्यालय जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी (म.प्र.)

dtpcshivpuri@gmail.com

क्रमांक/डीटीपीसी/ 14 /2017 शिवपुरी दिनांक 4/07/2017

// निविदा सूचना //

एतद् द्वारा इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मो को सूचित किया जाता है कि जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी द्वारा पर्यटन स्थल भदैयाकुण्ड, छत्री रोड, शिवपुरी पर निर्मित कैफेटेरिया का 05 वर्ष की अवधि के संचालन हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर ठेका दिया जाना है । कार्य एवं निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्ते www.shivpuri.nic.in पर देखी जा सकती है । इच्छुक व्यक्तियों अथवा फर्मो से दिनांक 22.07.2017 दोपहर 2.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 21.07.2017 तक कार्यालयीन समय सांय: 5.00 बजे तक रूपये 2000/- डी.डी. के माध्यम से जमा कर जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद शिवपुरी से प्राप्त किये जा सकते है । स्तम्भ 4 पर अंकित अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में अध्यक्ष जिला पर्यटन संवर्धन परिषद शिवपुरी के नाम से प्रस्तुत की जायेगी । प्राप्त निविदायें दिनांक 22.07.2017 को उपस्थित व्यक्तियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी ।

क्रं.	कार्य का नाम	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि बतौर सुरक्षा निधि	समयावधि
1	2	3	4	5
1	भदैयाकुण्ड शिवपुरी स्थित निर्मित कैफेटेरिया का 05 वर्ष हेतु प्रतिमाह किराये के आधार पर संचालन एवं संधारण	10,000/- प्रतिमाह	3,00,000/-	15 दिवस

<u>आवश्यक शर्ते :-</u>

1. कैफेटेरिया संचालन हेतु सुरक्षा निधि के रूप में राशि 3.00 लाख (तीन लाख) रूपये डीटीपीसी के नाम जमा करना होगी, जो ठेके के सफलतापूर्वक संचालन पूर्ण होने की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह बाद ब्याज रहित वापिस किये जायेगें।
2. किराये की राशि त्रैमासिक जमा की जाना होगी । त्रैमास के प्रथम सप्ताह में किराया जमा करना होगा । नियत अवधि में किराया जमा ना करने की दशा में बकाया राशि पर विलम्ब अवधि में 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा । विलम्ब् 90 दिवस से अधिक होने पर 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। किराये की राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी ।
3. किन्ही भी कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में अमानत राशि को राजसात किया जावेगा । ऐसी स्थिति में संचालनकर्ता को न्यायालय में जाने का कोई अधिकार नही होगा ।
4. किन्ही कारणों से अनुबंध निरस्ती की दशा में या कार्य अवधि पूर्ण होने की स्थिति में संचालनकर्ता को कैफेटेरिया एवं संलग्न खुली जगह को तत्काल प्रभाव से खाली करना होगा अन्यथा की स्थिति में 1000/- प्रतिदिवस के मान से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा ।
5. संचालनकर्ता द्वारा कैफेटेरिया के संलग्न खुली जगह (2800 वर्गफीट) का उपयोग किया जावेगा । इस हेतु मरम्मत की राशि स्वयं वहन करना होगी। कैफेटेरिया के संलग्न खुली जगह के बाहर पार्टी आयोजन के लिए संचालनकर्ता